[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 12th September, 2014

No. G.S.R. 41/Const. /Art. 309/ 2014.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Mewat District School Education (Group B) Service Rules, 2012, namely : —

1. These rules may be called the Mewat District School Education (Group B) Service (Amendment) Rules, 2014.
2. In the Mewat District School Education (Group B) Service Rules, 2012 (hereinafter called the said rules) in rule 9, in clause (a) in item (i) and (ii), for the figures and sign "33%" and "67%", the figures and sign "20% and 80%" shall be substituted respectively.
3. In the said rules, in rule 19 A, in the proviso, for the words "1st April, 2015", the words "1st April, 2018" shall be substituted.
4. In the said rules, in Appendix A, against serial number 2, under column 6, for figures and sign "₹ 15600-39100", the figures and sign "₹ 9300-34800" shall be substituted.
5. In the said rules, in Appendix B, under columns (3) and (4),-

   (a) against serial number 11, in item (i), for the words "Bio-Science", "Plant Pathology" and "Life Science", the words "Bio-Sciences", "Plant Physiology" and "Life Sciences" shall be substituted respectively; and

   (b) against serial number 20, under columns 3 and 4, for item (i), the following item shall be substituted respectively, namely:-

   "(i) M.A. Physical Education or M.P.Ed. with at least 50% marks; and Bachelor of Physical Education (B.P.Ed.) or Diploma in Physical Education (D.P.Ed.) or its equivalent from a recognized University;".

SURINA RAJAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
School Education Department, Chandigarh.

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 12 सितम्बर, 2014

संख्या सा०का०नि० 41/संवि०/अनु० 309/2014.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. ये नियम मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ख) सेवा (संशोधन) नियम, 2014, कहे जा सकते हैं।

2. मेवात जिला विद्यालय शिक्षा (ग्रुप ख) सेवा नियम, 2012 (जिसे, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 9 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) में, उप–खण्ड (i) तथा (ii) में, "33 प्रतिशत" तथा "67 प्रतिशत" अंकों तथा शब्द के स्थान पर, क्रमशः "20 प्रतिशत" तथा "80 प्रतिशत" अंक तथा शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 19 क में, परन्तुक में "प्रथम अप्रैल, 2015" शब्दों, चिह्न तथा अंकों के स्थान पर, "प्रथम अप्रैल, 2018" शब्द, चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. उक्त नियमों में, परिशिष्ट क में, क्रम संख्या 2 के सामने, खाना 6 के नीचे, "₹15600–39100" चिह्न तथा अंकों के स्थान पर, "₹ 9300–34800" चिह्न तथा अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

5. उक्त नियमों में, परिशिष्ट ख में, खाना (3) तथा (4) के नीचे —

   (क) क्रम संख्या 11 के सामने, मद (i) में, "पादप रोग विज्ञान" तथा "लाईफ साईंस" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः "पादप शरीरविज्ञान" तथा "लाईफ साईंसिस" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे; तथा

   (ख) क्रम संख्या 20 के सामने, खाना 3 तथा 4 के नीचे, मद (i) के स्थान पर, निम्नलिखित मद प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

   "(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50 प्रतिशत अंकों सहित एम0ए0 शारीरिक शिक्षा अथवा एम0पी0एड0 तथा बी0पी0एड0 अथवा डी0पी0एड0 अथवा इसके समकक्ष;"।

सुरीना राजन,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग, चण्डीगढ़।